न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– रमेश कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 30/2023
जीसीएमएस संख्या – 2023/149
निर्णय दिनांक : 18.10.2023 दायर दिनांक 28.03.2023

धर्मेन्द्र पुत्र प्रेमाराम जाति जाट निवासी ग्राम मगरासर तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू (राज.)

..........वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

..........प्रतिवादी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला–चूरू सत्यमेव जयते

उपस्थित :–

1. श्री ओमप्रकाश घोटिया अधिवक्ता वादी
2. पेरोकार राज नायब तहसीलदार सुजानगढ़

दावा रेकॉर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधि. 1955

–: निर्णय :–

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत ख.स 721/660 तादादी 0.2529 हैक्टेयर रोही ग्राम कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित हैं जिसमें वादी का नाम धर्माराम पुत्र प्रेमाराम अंकित है जबकि वादी का नाम अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक खाता, जनआधार कार्ड में धर्मेन्द्र पुत्र प्रेमाराम अंकित है।

उपरोक्त भूमि में वादी का नाम धर्माराम पुत्र प्रेमाराम है जिससे वादी का नाम गलत अंकित होने से सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने से वंचित हो रहे हैं, जिससे किसान क्रेडिट कार्ड में भी वादी को नाम की परेशानी आ रही है जिससे वादी को अपूर्तिय क्षति हो रही है। अतः वादी का नाम वादगत भूमि में धर्माराम पुत्र प्रेमाराम के स्थान पर धर्मेन्द्र पुत्र प्रेमाराम संशोधन करवाएं।

वाद प्रस्तुत होने पर [illegible] किया जाकर तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Kumar
Date: 2023.12.12 14:10:05 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

सुजानगढ़ से वादगत भूमि के सम्बन्ध में रिपोर्ट ली गई जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट

प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि में वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में धर्माराम पुत्र प्रेमाराम दर्ज है। जो गलत चला आ रहा है जबकि वादी के दस्तावेजों में धर्मेन्द्र पुत्र प्रेमाराम है। धर्माराम एवं धर्मेन्द्र दोनों एक ही व्यक्ति है अलग–अलग नहीं है। अतः उक्त भूमि में वादी का नाम धर्माराम पुत्र प्रेमाराम के स्थान पर धर्मेन्द्र पुत्र प्रेमाराम किया जाना उचित है।

रिपोर्ट तहसीलदार व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के आधार कार्ड में, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड, परिवार राशन कार्ड की प्रति आदि दस्तावेज में भी प्रार्थी का सही नाम धर्मेन्द्र पुत्र प्रेमाराम ही है।

बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र में वर्णितानुसार तथ्यों को दोहराते हुए दावा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली तथा उपलब्ध दस्तावेजात का तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सुजानगढ़ जो कि भू–धारक है ने वादगत भूमि में वादी का नाम दुरस्त करने की अनुशंषा की है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड आदि की प्रति के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि धर्माराम व धर्मेन्द्र दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। अतः न्यायालय वाद वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझता है।

आदेश

अतः दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत खेत ख.स 721/660 रकबा 0.2529 हैक्टेयर रोही ग्राम कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में खातेदार के रूप में दर्ज धर्माराम पुत्र प्रेमाराम हिस्सा 1/3 जाति जाट निवासी मगरासर खातेदार के स्थान पर धर्मेन्द्र पुत्र प्रेमाराम हिस्सा 1/3 जाति जाट निवासी मगरासर खातेदार दर्ज करें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार सुजानगढ़ को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Kumar
Date: 2023.12.12 14:10:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला-चूरू

रमेश कुमार
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़**
व इजलास **श्री रमेश कुमार आर.ए.एस**

धर्मेन्द्र बनाम राज. सरकार आदि
दावा बाबत रेकॉर्ड दुरूस्ती
मुकदमा न0 30 सन 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु हाजरी श्री ओमप्रकाश घोटिया एड. मिनजानिब मुद्दई. मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है

दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत खेत ख.स 721/660 रकबा 0.2529 हैक्टेयर रोही ग्राम कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में खातेदार के रूप में दर्ज धर्माराम पुत्र प्रेमाराम हिस्सा 1/3 जाति जाट निवासी मगरासर खातेदार के स्थान पर धर्मेन्द्र पुत्र प्रेमाराम हिस्सा 1/3 जाति जाट निवासी मगरासर खातेदार दर्ज करें।

चीज ....मुबलिग .... बाबत ....
खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह ....
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक ....
.... को अदा करे।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18 **माह** 10. 2023

दस्तखत ....
ओहदा ....
उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

मुहर

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर तलबाना		
बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			बाबत हुक्मनामा		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Kumar
Date: 2023.12.12 14:10:05 IST
Reason: SelfAttested